



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

[आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 22.08.2023 को अपलोड किए जाने हेतु]

विज्ञप्ति

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	22.08.2023 से 12.09.2023
आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	12.09.2023 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि समय	12.09.2023 (2300 बजे)
'आवेदनपत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	13.09.2023 से 14.09.2023 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	अक्टूबर, 2023

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. HQ-PP1103(4)/1/2023-PP_II [कंप्यूटर सं. 4689]: कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के लिए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन करेगा। मांगकर्ता संगठनों और विभिन्न पदों की अनंतिम रिक्तियों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

कोड	पद का नाम	वेतनमान
ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
बी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (स.से.मु) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
सी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों /	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)

	संगठनों में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (क.हि.अ.) / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)/ कनिष्ठ अनुवादक (क.अ.)	
डी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (व.हि.अ.) / वरिष्ठ अनुवादक (व.अ.)	स्तर-7 (44900- 142400/- रूपए)

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा, 2023 की अंतिम रिक्तियां

क्र म सं	पदनाम	संगठन / मंत्रालय का नाम	अ जा	अज जा	अपि व	आक व	अ ना	कुल रिक्तियां	अ दि	श्र दि	दृ दि	अन् य
1	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालय)	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालय)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2	1	2	0	0	5	0	0	1	0
3	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालय)	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1	0	0	1	2	4	1	0	0	0
4	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (अधीनस्थ कार्यालय)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (डीजीएचएस)	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0
5	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालय)	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
6	कनिष्ठ अनुवादक	वायु सेना मुख्यालय	7	3	16	5	25	56	1	1	1	0
7	कनिष्ठ अनुवादक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	4	2	6	2	10	24	1	0	0	0
8	कनिष्ठ अनुवादक	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (राजस्व विभाग)	2	1	12	7	15	37	1	0	0	0
9	कनिष्ठ अनुवादक	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	कनिष्ठ अनुवादक	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड	14	6	22	6	54	102	2	1	0	0

		(राजस्व विभाग)										
11	कनिष्ठ अनुवादक	केंद्रीय सतर्कता आयोग	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
12	कनिष्ठ अनुवादक	उपभोक्ता कार्य विभाग	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0
13	कनिष्ठ अनुवादक	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	कनिष्ठ अनुवादक	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
15	कनिष्ठ अनुवादक	डीजीएफएमएस	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0
16	कनिष्ठ अनुवादक	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
17	कनिष्ठ अनुवादक	एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) / सिविलियन जनशक्ति नियोजन एवं भर्ती निदेशालय (डीसीएमपीआर)	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
18	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारतीय तट रक्षक	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0
19	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	रक्षा मंत्रालय [संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी] का कार्यालय] सशस्त्र सेना मुख्यालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
20	कनिष्ठ अनुवादक	जलशक्ति मंत्रालय	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0
21	कनिष्ठ अनुवादक	खान मंत्रालय										
22	कनिष्ठ अनुवादक	मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय	2	1	1	0	8	12	0	0	0	0
23	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई)	1	0	1	1	7	10	0	0	0	0
24	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	2	0	0	1	2	5	0	0	0	1

25	कनिष्ठ अनुवादक	भारत के महापंजीयक का कार्यालय	1	0	0	1	6	8	0	0	0	0
26	वरिष्ठ अनुवादक	एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) / सिविलियन जनशक्ति नियोजन एवं भर्ती निदेशालय (डीसीएमपीआर)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
27	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई)	1	0	2	1	5	9	0	0	0	0
	योग		38	14	72	26	157	307	7	2	4	2

2. आरक्षण और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता :

(i) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांगजन (बें.दि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों द्वारा निर्धारित और आयोग को सूचित किया जाएगा ।

(ii) आयोग उपर्युक्त पदों के लिए विभागों मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति को लागू करना, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना अनन्य रूप से मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों के कार्यक्षेत्र में आता है।

2.1 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांकित 04.01.2021 एवं समय-समय पर संशोधित अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

क्रमांक	पद नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
1	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.द ख) ब., श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, तंत्रिका / अंग

			अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ड) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
2	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवादक	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.दृ ख) ब. , श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, मा.दु. तंत्रिका / अंग अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि.(ह), वि.अ.अ., मा.रो. ड) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, प.लि = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ने.ही = नेत्रहीन, अ.दृ = अल्प दृष्टि, ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, दो.पै = दोनों पैर, ए.हा.ए.पै = एक हाथ और एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकार, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, ऑ.स्पे.वि.(ह) = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ह=हल्का, म.= मध्यम), वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दियांगताएं (बधिर, दृष्टिहीनता सहित)

नोट: उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की उपयुक्तता मांगकर्ता मंत्रालय / विभाग द्वारा प्राप्त छूट, यदि कोई है, के अध्यक्षीन होगी ।

2.2 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद समूह 'ख' पद होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए इनमें आरक्षण नहीं है। तथापि, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार भूप्रसंग अर्हियों को आयु में छूट अनुमत्य है।

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अर्हियों को निम्नलिखित में से होना चाहिए:-

- भारत का नागरिक हो, या
- नेपाल की प्रजा हो, या
- भूटान की प्रजा हो, या

- (iv) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो। बशर्ते कि उपरोक्त (ii), (iii) और (iv) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

4. आयु सीमा (दिनांक 01.08.2023 के अनुसार) एवं आयु में छूट :

- 4.1 दिनांक 01.08.2023 को 18 से 30 अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1993 से पहले और 01.08.2005 के बाद न हुआ हो।
- 4.2 (i), उपरोक्त पैरा 4.1 के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.जा. सं 15012/2/2010-Estt.(D), दिनांकित 27.03.2012 के अनुसार निम्नानुसार है:

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	दिव्यांगजन (अना)	10 वर्ष
04	दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	3 वर्ष
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	8 वर्ष

(ii) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि और वही जन्मतिथि मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित होने पर आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी और इसमें परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार/ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(iv) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया है अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में है कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक की स्थिति भी प्राप्त करनी होगी।

(v) **स्पष्टीकरण:** भूपूसे से अभिप्राय वह व्यक्ति है-

क. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- i. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या
- ii. जिसे चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जिसे सैनिक सेवा माना जा सके और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
- iii. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

ख. जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं ; अथवा

ग. सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा

आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

घ. ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

ड. प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

च. भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

छ. भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

5. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित रूप में प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध में संलग्न हैं । दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) / अपूर्ण प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में, इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी कई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय / संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । अभ्यर्थी के अन्य किसी श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी अपिव भरी है। यदि X दस्तावेज सत्यापन के समय या प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय या संबंधित प्राधिकारी के

समक्ष किसी भी चरण में परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और किसी श्रेणी के अंतर्गत उसकी अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा

- 5.3 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्लूबीडी) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अनुसार आवेदनपत्र में भरते समय उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी अर्थात् अदि/श्रदि/अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी में बाद में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में संबंधित प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांगव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी- III, दिनांक 04.01.2021 में उल्लिखितानुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं की उप श्रेणी / उप श्रेणियों (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, वि.अ.अ., मा.रो. आदि) का दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी कई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय / संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के अन्य किसी श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- 5.4 आकव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था. (रेस.) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है।
- 5.5 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दिस्तावेजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आपिव / बे.दि / भू.पू.सै श्रेणी से संबंधित होने का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।
- 5.6 अजा / अजजा / अपिव / आपिव / बे.दि / भू.पू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5.7 अपिव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति / समुदाय प्रमाणपत्र है और निर्णायक तिथि को वह क्रीमी लेयर नहीं आता है। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

6. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

6.1 दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहता है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। चूँकि ये पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले शेष व्यक्तियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

6.3 दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा अनुबंध-I के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

6.4 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / पाठवाचक की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इसका विकल्प चुना हो।

6.5 अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार है। अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

6.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीची होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक का विकल्प दे रहे बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्योरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैरा 6.1, 6.2 एवं 6.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र और अपने प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के ब्योरे देने होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में (पैरा 13.7 में दी गई सूची के अनुसार)

वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध-II/ अनुबंध-II क पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को उस पद के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

- 6.7 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो अभ्यर्थी का स्वयं का प्रालिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में किसी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होता है या हो सकता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 6.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- 6.9 पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 6.10 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 6.11 बेंचमाक दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी अन्य समय, यथा-प्रयोज्य, प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 6.12 एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

7. अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं : (दिनांक 12.09.2023 को)

- 7.1 पद कोड 'ए' से 'सी' के लिए (केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी / कनिष्ठ अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरी अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव ।

7.2 पद कोड 'डी' के लिए (केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ वरिष्ठ अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरी अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 03 वर्ष का अनुभव ।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो । तथापि, ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए जब अभ्यर्थी ने प्राप्त किया हो ।

7.4 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं.3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा ।

7.5 प्रयोक्ता विभाग / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जैसे स्नातकोत्तर डिग्री, डिग्री स्तर, हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा के सभी वर्षों की मार्कशीट, अनुवाद कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र इत्यादि मूल रूप में, साक्ष्य के रूप में कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कट-

ऑफ तारीख या उससे पूर्व हासिल कर ली है, ऐसा करने में विफल होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक अर्हता पूरा करने के उद्देश्य से माना जाएगा कि उन्होंने भी शैक्षिक योग्यता हासिल कर ली है। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से ही शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं हो जाती है।

7.6 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले अभ्यर्थियों के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए ।

8. आवेदन करने का तरीका और आवेदन शुल्क

8.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे । विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुलग्नक- III और अनुलग्नक- IV का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुलग्नक-III क और अनुलग्नक-IV क के रूप में संलग्न हैं ।

8.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 234 ऑफ 2018 दिनांक 05.03.2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अभ्यर्थी की फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे के होना चाहिए । फोटो में चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

8.3 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दी जाएगी। स्वीकार्य / अस्वीकार्य चित्रित करने वाले फोटोग्राफ के नमूने भी अनुबंध-XIV में दिए गए हैं। स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप में (10 से 20 केबी) होने चाहिए । हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट / धुंधले फोटो या हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

8.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 12.09.2023 (23:00 बजे) है।

- 8.5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 8.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।
- 8.8 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए) ।
- 8.9 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बैंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 8.10 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।
- 8.11 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 8.12 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा ।
- 9 . आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [13.09.2023 से 14.09.2023 (23:00 बजे)]:
- 9.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 9.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो

उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 9.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 9.4 सुधार राशि की प्राप्ति के अध्यक्षीन नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- 9.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।
- 9.6 यदि एसएससी द्वारा लागू सुधार शुल्क प्राप्त नहीं होते हैं, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।
- 9.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 9.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 9.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

10. परीक्षा केन्द्र:

10.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को अवश्य इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), पटना (3206), पूर्निया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211002 http://www.ssc-cr.org
2	कोलकाता (4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक (4001), भुवनेश्वर (4604), रांची (4205)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 www.sscer.org
3	बेंगलूरु (9001), हुबली (9011) कोझिकोड (कालीकट) (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), एरनाकुलम (9213)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 www.sscckr.kar.nic.in
4	बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5 वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org
5	गुवाहाटी (दिसपुर) (5105) शिलांग (5401), अगरतला (5601)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड,

			डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रुड़की (2006)	उत्तरी क्षेत्र (NR)/ दिल्ली ,राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 www.sscnr.net.in
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), जलंधर (1402), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्ष.)/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चि.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8	चेन्नै (8201), हैदराबाद (8002), कुरनूल (8003), तिरुचिरापल्ली (8206), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), तिरुनेवेली (8207)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्ष.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 www.sscsr.gov.in
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), राजकोट (7006), अमरावती (7201), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्ष.)/ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 www.sscwr.net

10.2 कोई भी अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। बाद में, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र को बदलने से संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।

- 10.3 आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का अधिकार भी है।

11. परीक्षा की रूपरेखा:

11.1 इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। इन प्रश्नपत्रों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :-

भाग	प्रश्नपत्र की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	कंप्यूटर आधारित पद्धति	(i) सामान्य हिन्दी (ii) सामान्य अंग्रेजी	100/100 100/100	2 घंटे (ऊपर पैरा-6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)
प्रश्नपत्र-II	वर्णनात्मक	अनुवाद तथा निबंध	200 अंक	2 घंटे (ऊपर पैरा-6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)

- 11.2 प्रश्नपत्र-I में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे।
- 11.3 प्रश्नपत्र-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।
- 11.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 11.5 परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र-I की अनंतिम उत्तर-कुंजियों आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम

रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित, बाद में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 11.6 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तारीख अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।
- 11.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.8 प्रश्नपत्र-II में, अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नंबर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रासंगिक कॉलम में हस्ताक्षर करना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान नहीं होगा, उनमें शून्य अंक दिया जाएगा।
- 11.9 अभ्यर्थियों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका (पेपर-II) के अंदर कोई भी व्यक्तिगत पहचान, जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि न लिखें, ऐसा करना अनुचित साधनों (यूएफएम) का प्रयोग माना जाएगा। जो अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अंक दिए जाने के बावजूद शून्य दिया जाएगा।

12 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम

12.1 **प्रश्नपत्र-I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा):** इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके। प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे।

12.2 **प्रश्नपत्र-II: (अनुवाद और निबंध):** अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए दो गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी तथा एक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में एक-एक निबंध लिखना होगा। **प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा।**

13. परीक्षा में प्रवेश

- 13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुट्यवस्थित पाए जाते हैं

और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।

- 13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाईन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों/ संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाईन जारी किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा-10 पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- 13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

- 13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 13.6 प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।**
- 13.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-
- (i) आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट
 - (ii) मतदाता पहचान-पत्र कार्ड
 - (iii) ड्राइविंग लाइसेंस
 - (iv) पैन कार्ड
 - (v) पासपोर्ट
 - (vi) विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - (vii) नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)
 - (viii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका
 - (ix) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- 13.8 अगर फोटो पहचान-पत्र में जन्म-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (अर्थात् सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लिए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- 13.9 पैरा-6.1, 6.2 और 6.3 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले बैंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ वचन-पत्र/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमें निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

- 13.10 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।
- 13.11 धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
14. **दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.):** सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्णय को देखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद दस्तावेज सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों/ कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
- 14.1 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों को अग्रेषित किए जाते हैं। प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अग्रेषित डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर या इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर को वापस नहीं करेगा कि एक क्षैतिज रिक्ति मौजूद है लेकिन उस श्रेणी के डोजियर को आयोग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।
- 14.2 कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों से रिक्तियों की पुष्टि करता है। अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है और नामांकन/ सिफारिशें केवल ऐसी पुष्ट रिक्तियों के लिए की जाती हैं। इसलिए, प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन किए गए नामांकन और उन्हें भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। यदि कोई मंत्रालय/विभाग/ संगठन समाप्त हो जाता है, पुनर्गठित हो जाता है, या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी/ प्रशासनिक विभाग/ मंत्रालय डोजियर स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का संपूर्ण पदानुक्रम समाप्त हो जाता है, तो जिस मंत्रालय/विभाग को इसका कार्य हस्तांतरित किया गया है, वह डोजियर्स को स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय/ विभाग/ संगठन का कार्य किसी अन्य मंत्रालय/ विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो मंत्रालय/ विभाग जिसका

कार्य पूर्व के कार्य से निकटता से संबंधित है, डोजियर को स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- 14.3 अंतिम परिणाम आयोग द्वारा केवल एक बार घोषित किया जाएगा और अभ्यर्थियों के प्रस्तावित पदों में कार्यभार नहीं ग्रहण करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, अभ्यर्थियों के कार्यभार नहीं ग्रहण करने या किसी अन्य कारण से खाली रह गई रिक्ति (रिक्तियां), यदि कोई हों, उस भर्ती वर्ष में नहीं भरी जाएंगी और मांगकर्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन उन रिक्तियों को अगले भर्ती चक्र में ले जा सकता है और मौजूदा नियमों के अनुसार आयोग को रिपोर्ट कर सकता है।
- 14.4 आयोग की नीति के अनुसार, एसएससी आयोग द्वारा आयोजित बहु-कारक परीक्षाओं के लिए प्रतीक्षा सूची / आरक्षित पैनल नहीं रखता है। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
- 14.5 अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर पैरा 14.7 में दर्शाए गए फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है।
- 14.6 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और एक वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। फोटो पहचान पत्र निम्नलिखित हो सकते हैं:
- (i) आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट
 - (ii) मतदाता पहचान-पत्र कार्ड
 - (iii) डाइविंग लाइसेंस
 - (iv) पैन कार्ड
 - (v) पासपोर्ट
 - (vi) विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - (vii) नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम)
 - (viii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका
 - (ix) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

14.7 उपयोगकर्ता संगठनों/ कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

- (i) मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र
- (ii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- (iii) अनुवाद/ अनुभव प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।
- (iv) जाति / श्रेणी प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
- (v) निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।
- (vi) भूतपूर्व सैनिक के लिए :
 - (क) अनुबंध-V के अनुसार कार्यरत रक्षाकर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो ।
 - (ख) अनुबंध-VI के अनुसार वचन-पत्र ।
 - (ग) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो ।
- (vii) आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज ।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए ।
- (ix) जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :
 - (क) महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतियां शपथ- आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
 - (ख) महिला की दूसरी शादी के मामले में :- तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतियां शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
 - (ग) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा ।
 - (घ) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार

अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गजट अधिसूचना ।

(x) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज।

15. पद वरीयता

15.1 अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी । अभ्यर्थी का उस पद और मंत्रालय/ विभाग/ संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने उसके लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

15.2 अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा । अभ्यर्थियों द्वारा पद / विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा । यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देते समय यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए ।

15.3 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयताएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यह दोहराया जाता है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत विकल्प-सह-वरीयता आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी। किसी अन्य माध्यम अर्थात् ई-मेल, फैंक्स, डाक से प्रस्तुत किए गए विकल्प-सह-वरीयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16. चयन का तरीका:

16.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:-

(i) अनारक्षित: 30%

- (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 25%
- (iii) अन्य सभी श्रेणियाँ:20%
- 16.2 प्रश्नपत्र-I अर्थात् कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार प्रश्नपत्र-II में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा बहु पालियों में आयोजित की गई है तो योग्यता-सूची और अंतिम चयन के लिए सामान्यीकृत अंक का उपयोग किया जाएगा।
- 16.3 प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-II में प्रदर्शन के आधार, अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा। पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ हो सकते हैं।
- 16.4 अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-II में उनके प्रदर्शन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर मंत्रालय/ विभाग/ संगठन का आवंटन तथा अंतिम चयन किया जाएगा।
- 16.5 अभ्यर्थी को उनके योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर पद और मंत्रालय/ विभाग/ संगठन के अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता **अंतिम** माना जाएगा और यह **अपरिवर्तनीय** होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदों/विभागों के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देते समय यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।
- 16.6 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों / विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर पदों के लिए अंतिम आवंटन तैयार करता है और एक बार पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक / चिकित्सा / शैक्षणिक मानकों की किसी भी पद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 16.7 अजा, अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र योग्यता या रिक्तियों में अपनी स्थिति के अनुसार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, पद में सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में से समायोजित किया जाएगा,।

आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, आकव और दिव्यांगजन श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

- 16.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जो उनकी योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, अनुभव या योग्यता,अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि अनारक्षित रिक्तियों में। आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भू.पू.सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपू.सै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा । इसी तरह दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट को मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।
- 16.9 बेंचमार्क दिव्यांगजन, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।
- 16.10 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 16.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा । लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 16.12 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे और परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों । परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा ।
- 16.13 नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात् यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं।

- 16.14 अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती है।
- 16.15 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- 16.16 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
- 16.17 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाता है और एक बार पद का आवंटन करने के पश्चात किसी पद की शारीरिक / चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता / जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता / रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 16.18 यह पुनः बताया जाता है कि आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा एक बार ही की जाएगी और यदि पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थिता रद्द करने, अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण न करने या किसी अन्य कारण से खाली रह गए पदों के लिए कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, मौजूदा नियमों के अनुसार मंत्रालय /विभाग /संगठन इन रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।
- 16.19 अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत कोई भी प्रतीक्षा सूची /आरक्षित सूची नहीं होगी।
17. **बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:** उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र -I तथा प्रश्नपत्र-II में कुल अंक एक समान प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

i. प्रश्नपत्र -II में कुल अंक।

- ii. प्रश्नपत्र -I (अर्थात सामान्य हिन्दी) के भाग (i) में अंकों को देखकर ।
- iii. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।
- iv. नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	‘स्विच ऑन’ या ‘स्विच ऑफ’ मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों	7 वर्ष

	आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व बल आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.39020/1/2015-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (अना/अजा/ अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शादि/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (दों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शा.दि के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ)	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु में छूट/ आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय/ किसी भी चरण में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ज)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ञ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपू.सै. की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में, विज्ञप्ति में ऊपर दिए गए अनुसार, एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। बैंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र /प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ट)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ठ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ड)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
(ढ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से संपर्क करना चाहिए।
(ण)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजन (दि.) तथा भू.पू.सै. से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(त)	आयोग सक्षम प्राधिकारी की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के अध्यक्षीन सत्यापन के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी के आधार डाटा का प्रयोग कर सकता है।
(थ)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने

	<p>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।</p>
(द)	<p>ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 1 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-9 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।</p>
(ध)	<p>सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</p>
(न)	<p>ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें चेहरा सामने से दृश्यमान होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XIV पर दिए गए हैं।</p>
(प)	<p>आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने/हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत/हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।</p>
(फ)	<p>अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://ssc.nic.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।</p>

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-1

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ग्राम/जिला/राज्यके निवासी हैं, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूँ कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-। क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री, निवासी(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है ।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी हूं..... (परीक्षा का नाम) में बैठने के लिए..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) जिले में स्थित (केंद्र का नाम) में रोल नं. है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

में प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र

में _____, _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, _____ जिला, _____ (राज्य का नाम) में स्थित _____ (केंद्र का नाम), से _____ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूँ कि _____ (प्रलिपिक का नाम)
उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

- क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
- ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
- ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
- वोटर आईडी कार्ड
 - पैन
 - पासपोर्ट
 - डाइविंग लाइसेंस
 - स्कूल/कॉलेज आई डी
 - नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
- घ) मैट्रिक (10 वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
- ङ) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

3. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

- मूलभूत विवरण
- अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
- घोषणापत्र ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

- सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है । यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है । यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2 ग और 2 घ में करें।
- क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

- च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है ।
- छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. अनुक्रमांक
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज) क्रम संख्या-7: लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)
- झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपके पंजीकरण संख्या को आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं ।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें । दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक की चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित): हां/नहीं। दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या उपलब्ध कराएं ।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें ।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचना को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।
7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-III क (1/5)

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
1a. Aadhaar Number	<input type="text"/>
	<small>Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card</small>
1b. Verify Aadhaar Number	<input type="text"/>
1c. Type of ID *	<input type="text" value="Driving License"/>
	<small>Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number</small>
1d. ID Number *	<input type="text" value="BRHPK3731M"/>
2a. Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
	<small>1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)</small>
2b. Verify Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
2c. Have you ever changed Name?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
2d. New Name / Changed Name	<input type="text"/>

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

[Education Board of Matriculation Examination](#)

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
* State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

अनुबंध-III क (4/5)

11a. Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
11b. Verify Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
12. Nationality *	<input type="text" value="Citizen of India"/>
13. Identification Marks *	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>
14a. Are you a Person with Benchmark Disability? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
14b. Type of Disability	<input type="text" value="--Select--"/>
NOTE VH: Blindness and low vision. HH: Deaf and hard of hearing. OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy. Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.	
14c. Disability Certificate Number	<input type="text"/>
15a. Permanent Address *	<input type="text" value="SAMPLE PERMANENT ADDRESS"/>
15b. State/ UT *	<input type="text" value="Punjab"/>
	<input type="text"/>

15b. State/ UT * Punjab

15c. District * Patiala

15d. PIN Code * 140401

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address * SAMPLE PERMANENT ADDRESS

17b. State/ UT * Punjab

17c. District * Patiala

17d. PIN Code * 140401

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

[Previous](#) [Take Draft Print](#) [Final Submit](#) [Close](#)

अनुबंध-IV

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 - क. हाल का (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XIV में दिए गए हैं।
 - ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
 - ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Junior Hindi Translator, Junior Translator, and Senior Hindi Translator Examination, 2023' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 10 का संदर्भ लें)।
6. क्रम संख्या-16.1 से 16.6: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है (विज्ञप्ति के पैरा 4(iii) से पैरा 4(v) तक का संदर्भ लें)।
7. क्रम संख्या-17.1 से 17.7 : यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-6 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

8. क्रम संख्या-18 से 18.1: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 4 का संदर्भ लें)।
9. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
10. क्रम संख्या 20 से 23: शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि हो, का विवरण भरें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 7 का संदर्भ लें)।
11. क्रम संख्या- 24: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-20 देखें और तदनुसार भरें।
12. क्रम संख्या- 25 से 27: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी ।
13. कृपया अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं. 1क पर विनिर्दिष्ट किया गया है। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XIV में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं ।
14. उपर्युक्त क्र.सं.1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
15. क्रम संख्या-28: ऊपर अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
16. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैच चा कोड भरें।
17. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/ Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें।

18. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
19. शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।
20. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

अनुबंध-IV क

Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2023

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	ADITYAQXE
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	OPCQXE
4. Mother's Name:	VCQXE
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	25/06/2002
6. Age as on 01/08/2023:	21.1
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No

अनुबंध-IV क

9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Indian
11. Mark of Visible Identification:	MOLE
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Bihar State Madrasa Education Board
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	365QX
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2015
15. Preference of Examination Centres:*	Center 1 ▼ Center 2 ▼ Center 3 ▼
Please refer to the Notice of Examination, Para-10	
16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	

अनुबंध-IV क

16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

16.4. Length of Service in the Armed Forces:

16.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :
[Please refer to the Notice of Examination, Para- 4\(iii\) to 4\(V\)](#)

Yes No

16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

17.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of OH- Cerebral Palsy (OH-CP)?

Yes No

17.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Blindness (VH)?

Yes No

अनुबंध-IV क

17.3. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of OH- Both Arms Affected?: Yes No

17.4. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?: Yes No

17.5. Whether scribe is required?: Yes No

17.6. Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

17.7. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 6](#)

18. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

18.1. If Yes, Age Relaxation code:

[Please refer to para 4 of the Notice of Examination](#)

19. Highest Educational Qualification: *

20. Graduation: *

University	Name of Degree	Roll No	Subjects	Year of Passing	Medium of Examination	Percentage	CGPA
<input type="text"/>	<input type="text" value="--Select Degree--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="--Select Year--"/>	<input type="text" value="--Select Medium--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 7](#)

21. Post Graduation: * Passed Appearing

University	Name of Degree	Roll No	Subjects	Year of Passing	Medium of Examination	Percentage	CGPA
<input type="text"/>	<input type="text" value="--Select Degree--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="--Select Year--"/>	<input type="text" value="--Select Medium--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 7](#)

22. Translation Course(Hindi to English & vice versa) * Passed Appearing/ Possess Experience

University/Institute	Duration of the course (in months)	Roll No	Year of Passing	Percentage	CGPA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--Select Year-- <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 7](#)

23. Experience of Translation Work: * Yes No

From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Name of Office	Department / Ministry	Whether Central Govt. / State Govt. / Govt. of India Undertaking	Nature of Work	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--Select-- <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 7](#)

24. Do you want to make your personal information Yes No

available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated 21/06/2016? *

[Please refer to the Notice of Examination, Para- 20](#)

25. Correspondence Address:	132
State:	Delhi
District:	Central Delhi
Pin:	110011
26. Permanent Address	132
State:	Delhi
Pin:	110011
Mobile Number:	9870809600
Email:	adityaxvi@gmail.com

27. Contact Details for Other Nationals:

Photograph and Signature

Upload a photograph without Spectacles/Cap taken on or after 23-May-2023*
Allowed File Size: 20 KB to 50 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)
 No file chosen

Upload Signature (Signature should not be blurred)*
Allowed File Size: 10 KB to 20 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)
 No file chosen

28. Whether the photograph has been taken on or after 23-May-2023? Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the terms & conditions of the Notice of the Examination.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*
 I Agree



Try Another

Preview

Reset

Close

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the terms & conditions of the Notice of the Examination.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated. I am willing to serve anywhere in India.

3. I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.

4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose. *

I Agree



Try Another

ENTER TEXT

Preview

Reset

Close

अनुबंध-V

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)
_____ (रैंक)_____ (नाम)_____
(दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

कार्यालय की मुहर:

दिनांक:

अनुबंध-VI

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं अनुक्रमांक
.....परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में
उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग*
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित

जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैं:-

- @संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____
- @संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
- @संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____
- @संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986, और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- @संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- @संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- @संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
- @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/ माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

§3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

स्थान _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक _____

राज्य/ संघ राज्य-

क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
+(प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट पद से नीचे के नहीं।)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर के सचिव/ विकास प्राधिकारी (लक्षद्वीप)।

अनुबंध-VIII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____ दिनांक _____* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/2013-स्था (रेस), दिनांक

27.05.2013**की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक: हस्ताक्षर-----

मुहर: पदनाम-----\$

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** - समय समय पर यथा संशोधित

\$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध- IX

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/
पुत्री/पत्नी _____ स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____
डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र
_____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की
कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास
निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: इंडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध -X

प्रारूप-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/
पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/
म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं
----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के
स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- % (अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/ नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- XI

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/
पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/
म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं
----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के
स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (%में)

1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/ गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह).....(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

- # उदाहरणतः एक आँख
£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XII

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले			

	पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@- उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

#- उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आंखें

€- उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,

तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIII

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
अनुवाद में प्रमाणपत्र	03
अनुवाद में डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी।)	32

एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

अनुबंध-XIV

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ

अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने


अत्यधिक रंगीन



टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



निगूँधी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ

